



भा.कृ.अ.प.- भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
I.C.A.R. - Indian Agricultural Statistics Research Institute
लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली-110012
Library Avenue, Pusa, New Delhi-110012



मिसिल सं.2(48)/2017-ए.सी.आर

दिनांक 12.04.2018


परिपत्र

वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (ए.पी.ए.आर.) को लिखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा डी.ओ.पी.सी. के कार्यालय ज्ञापन सं.21011/1/200-स्थापना (ए)(पी.टी.-।) दिनांक 23.07.2009 एवं कार्यालय ज्ञापन सं.35014/4/83-स्थापना (क) दिनांक 23.09.1985 का अनुपालन करते हुए ए.पी.ए.आर. पूर्ण करने के लिए निर्धारित समयसीमा का अनुपालन करना आवश्यक है।

अतः सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि "समय सारणी के प्रथम सप्ताह की समाप्ति के पश्चात यदि तत्सम्बन्धित अधिकारी से स्वमूल्यांकन प्राप्त नहीं होता है तो रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा, जिस अधिकारी का प्रतिवेदन लिखा जाना है, को लिखित में स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारक देना चाहिए तथा अनुस्मारक में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि यदि निर्धारित तिथि तक अधिकारी का स्वमूल्यांकन फार्म प्राप्त नहीं होता है तो बिना उसके प्रतिवेदन भरे रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा उसकी ए.पी.ए.आर. रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। यदि निर्धारित दिनांक तक स्वमूल्यांकन प्राप्त नहीं होता है तो रिपोर्टिंग अधिकारी दूसरा रिक्त ए.पी.ए.आर फार्म ओ.एम.वी. एकक से प्राप्त कर सकता है और तत्सम्बन्धित अधिकारी के कार्य एवं आचरण के विषय में अपने अनुभव के आधार पर रिपोर्टिंग कर सकता है। ऐसा करते समय रिपोर्टाधीन अधिकारी द्वारा अपना स्वमूल्यांकन निर्धारित दिनांक तक भर कर नहीं देने का उल्लेख भी किया जाना चाहिए"

यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समयसीमा का पालन नहीं किया जाता है तो उनकी ए.पी.ए.आर. अपूर्ण मानी जाएगी और साथ ही ऐसे अधिकारी नियमानुसार अन्य उचित कार्यवाही के पात्र भी हो सकते हैं। समय-सारणी की प्रति संलग्न की जा रही है।

यह परिपत्र निदेशक, भा.कृ.सां.अ.सं. की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।


(पुनम सिंह)
कार्यालय प्रधान

वितरण :

1. निदेशक महोदय के निजी सहायक, भा.कृ.सां.अ.सं., नई दिल्ली-110012.
2. राष्ट्रीय प्राचार्य, भा.कृ.सां.अ.सं., नई दिल्ली-110012.
3. समस्त प्रधान प्रभाग, भा.कृ.सां.अ.सं., नई दिल्ली-110012.
4. कार्यालय प्रधान के निजी सहायक, भा.कृ.सां.अ.सं., नई दिल्ली-110012.
5. प्रधान प्रभाग (संगणक अनुप्रयोग), भा.कृ.सां.अ.सं., नई दिल्ली-110012 इस अनुरोध के साथ कि उक्त परिपत्र को संस्थान की वैबसाइट पर अपलोड किया जाए।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/ प्रभारी (टी.ए.सी.)/ प्रभारी (पी.एम.ई.सैल)/ प्रभारी (पुस्तकालयतंत्र), भा.कृ.सां.अ.सं., नई दिल्ली-110012.
7. प्रभारी, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय/ नोडल अधिकारी, भा.कृ.सां.अ.सं.।
8. प्रशासनिक अधिकारी/ समस्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भा.कृ.सां.अ.सं., नई दिल्ली-110012.
9. सचिव (कर्मचारी पक्ष), आई.जे.एस.सी., भा.कृ.सां.अ.सं., नई दिल्ली-110012 सूचनार्थ
10. सूचना पट्ट, भा.कृ.सां.अ.सं., नई दिल्ली-110012.

Annexure-III

Time schedule for preparation/completion of APAR
(Reporting year- Financial year)

S.No.	Activity	Date by which to be completed
1.	Distribution of blank APAR forms to all concerned (i.e., to officer to be reported upon where self-appraisal has to be given and to reporting officers where self-appraisal is not to be given)	31 st March. (This may be completed even a week earlier).
2.	Submission of self-appraisal to reporting officer by officer to be reported upon (where applicable).	15 th April.
3.	Submission of report by reporting officer to reviewing officer	30 th June
4.	Report to be completed by Reviewing Officer and to be sent to Administration or CR Section/Cell or accepting authority, wherever provided.	31 st July
5.	Appraisal by accepting authority, wherever provided	31 st August
6.	(a) Disclosure to the officer reported upon where there is no accepting authority (b) Disclosure to the officer reported upon where there is accepting authority	01 st September 15 th September
7.	Receipt of representation, if any, on APAR	15 days from the date of receipt of communication
8.	Forwarding of representations to the competent authority (a) where there is no accepting authority for APAR (a) where there is accepting authority for APAR	21 st September 06 th October
9.	Disposal of representation by the competent authority	Within one month from the date of receipt of representation.
10.	Communication of the decision of the competent authority on the representation by the APAR Cell	15 th November
11.	End of entire APAR process, after which the APAR will be finally taken on record	30 th November